कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक 168 /दो-11-03/2018 कोरबा, दिनांक ..04...-11-2023

कार्यालय आदेश क्रमांक 152/दो-11-03/2018 कोरबा, दिनांक 03.10.2023 के अंतर्गत स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग से नियुक्त अभ्यर्थी के द्वारा निर्धारित समयावधि में विधिवत् कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतीक्षा सूची में दर्शित निम्नांकित अभ्यर्थी को स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल-7 (28700-91300) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता हैः-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री प्रवीण कुमार पंकज पिता श्री बी.एन.राम	ग्राम आमापारा लंगड़ासाढ़ पोस्ट खड़ादोरना तहसील सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) पिन नं. 497111	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)

नियुक्ति की शर्तेंः-

1. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा ।
2. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन के बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु फीट (योग्य) है । यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।
4. नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्तिकर तीन प्रतियों में शपथपत्र सहित प्रस्तुत करना होगा । यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
5. किसी भी पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जावेगा ।
7. नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं की जावेगी ।

8. शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा नियुक्ति हेतु कोई तथ्य छुपाया जाना, पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के निरस्त कर दी जावेगी ।
9. नियुक्ति अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला स्थापना कोरबा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय या अनुभाग में की जा सकती है ।
10. **नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे । निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।**
11. कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा-पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
12. कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी के लिए शपथ लेना अनिवार्य होगा कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेगें ।

सही/-
(डी.एल.कटकवार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 2355 /दो-06-08/2013 कोरबा, दिनांक 04-11-2023

प्रतिलिपिः-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 6049/डी.ई./तीन-18-27/2023 बिलासपुर, दिनांक 12.05.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. लेखापाल / देयक लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा ।
3. श्री प्रवीण कुमार पंकज पिता श्री बी.एन.राम पता ग्राम आमापारा लंगड़ासाढ़, पोस्ट खड़ादोरना, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) पिन नं. 497111
   - की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4-11-2023
(डी.एल.कटकवार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ.ग.)